फार्म क्रमांक–

<table>
<tr><td>

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.)

</td></tr>
<tr><td>

मार्केटिंग एजेंसी हेतु निविदा–प्रपत्र वर्ष 2018

<u>**ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,**</u>
गोला का मंदिर, रेजीडेन्सी रोड़, मुरार,ग्वालियर–474005
दूरभाष क्रमांक– 0751–2368107
फैक्स नम्बर– 0751–2366981
E-mail: [illegible]

</td></tr>
<tr><td>

निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 500/–

</td></tr>
</table>

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
गोला का मंदिर, ग्वालियर– 474005
फोन :– 0751–2365523 फेक्स :– 0751 – 2366981
[illegible]

<u>मार्केटिंग एजेंसी हेतु ई–निविदा</u>

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को अपने विक्रय क्षेत्र को विकसित करने हेतु प्रसिद्ध मार्केटिंग एजेंसी की आवश्यकता है। मार्केटिंग एजेंसी निर्धारित योग्यता वाले लगभग 15 व्यक्ति एक वर्ष के लिए ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को निर्धारित मानदेय + मोबाईल व्यय + वाहन व्यय सहित उपलब्ध करा सकें। ऐसी एजेंसियों की ई–निविदा निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन वेबसाईट [illegible] से राशि रू.500/–ऑनलाइन जमा कर दिनांक 31.03.18 दोपहर 1.00 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र में वर्णित निविदा की शर्ते एवं तकनीकी अर्हताऐं संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड़ करना होंगे तथा ईएमडी राशि रु.1,00,000/– का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, ''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर'' [illegible] ग्वालियर के पक्ष में देय ऑनलाईन अपलोड़ करना होगा तथा ओरिजनल डी.डी./बैकर्स चैक एवं निविदा की शर्ते एवं तकनीकी अर्हता सबंधी दस्तावेज दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 31.03.18 दोपहर 2.00 बजे तक भौतिक रूप से जमा करने होगे । जो उसी दिन उपस्थित निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दोपहर 3.00 बजे खोले जाएंगे। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाईट [illegible] पर उपलब्ध हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

<u>**ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर**</u>

गोला का मंदिर,ग्वालियर

मार्केटिंग एजेंसी हेतु निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	**31.03.18 दोपहर 02:00 बजे तक ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर**
2	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**31.03.18 अपरान्ह 03:00 बजे**
3	निविदा प्रपत्र का मूल्य	**रू.500/– (पांच सौ रूपये मात्र)**
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	**निविदा के साथ रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक ''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर'' payable एट ग्वालियर के नाम से देय हो ।**
5	निविदा खोलने का स्थान	**कार्यालय, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर**
6	मार्केटिंग एजेन्सी हेतु सामान्य शर्ते	**प्रपत्र 01**
7	मार्केटिंग एजेन्सी हेतु तकनीकी अर्हताएं	**प्रपत्र 02**
8	भाव पत्र	**प्रपत्र 03**

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- प्रपत्र क्र.01 ''सामान्य शर्ते'' प्रपत्र क्रमांक 02 ''तकनीकी अर्हताएं'' को बन्द लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे, एवं लिफाफे पर ''मार्केटिंग एजेंसी हेतु निविदा'' लिखा जावे साथ ही लिफाफो पर प्रेषक का नाम, पता अंकित किया जावे। साथ ही समस्त दस्तावेज ऑनलाईन भी जमा की जावे।
- प्रपत्र 03 ''भाव पत्र'' केवल ऑनलाईन माध्यम से ही भरा जाए।
- निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- पूर्ण दस्तावेज एवं EMD राशि के बिना प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
- निविदाकार द्वारा प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत की जावे।

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र –01

(अ) मार्केटिंग एजेंसी हेतु निविदा की सामान्य शर्तें

1.	मार्केटिंग एजेंसी को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के लिए जिला– ग्वालियर, भिण्ड़, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, टेकनपुर, डबरा, दतिया, झांसी, दिल्ली, मथुरा, आगरा, धौलपुर में विक्रय प्रोत्साहन हेतु एम.बी.ए/बी.बी.ए/स्नातक मैन पावर जो कम्प्यूटर में पीजीडीसीए/डी.सी.ए भी हों, की प्रदायगी की जाना है। मार्केटिंग एजेंसी को सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव एक वर्ष तक प्रदाय करना है, जिसके लिए सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव का मासिक मानदेय व मोबाईल व्यय एवं स्थानीय परिवहन देयक पर लिए जाने वाले सुपर विजन एवं सर्विस चार्ज प्रस्तुत की जाए।
2.	धरोहर राशि (Earnest Money) **रूपये 1,00,000/– (रू. एक लाख)** निविदाकार को दुग्ध संघ में निविदा के साथ डिमाण्ड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, जो कि **''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित''** या **''Gwalior Sahakari Dugdha Sangh Maryadit''** के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि **केवल डिमाण्ड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** के रूप में ही मान्य की जावेगी अन्य किसी स्वरूप में नहीं। National Small Scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मो सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को धरोहर राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी। बिना धरोहर राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर असफल निविदाकारों की धरोहर राशि एक माह की समय सीमा में वापस की जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने पर यदि निर्धारित तिथि से कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो धरोहर राशि (Earnest Money) जप्त कर दूसरे न्यूनतम निविदाकर्ता को कार्य का ठेका दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य शुरू होने पर धरोहर राशि (Earnest Money) को सुरक्षा निधि (Security Deposit) में समायोजित किया जावेगा।
3.	मार्केटिंग एजेंसी के पास जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है।
4	निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को होगा ।
5	निविदा स्वीकृत होने पर सफलतम् मार्केटिंग एजेंसी को **ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ** से ग्वालियर शहर एवं ग्वालियर संभाग के अन्य समस्त जिलों में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ, घी एवं पशु आहार विक्रय वृद्धि हेतु जिसमें घर–घर सर्वेक्षण एवं विपणन विस्तार की अन्य गतिविधियां शामिल होंगी। प्रतिदिन लगभग 15 सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
6	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल निविदाकार द्वारा स्वयं के खर्चे से अनुबंध पत्र हेतु रूपये 1,000/– (रू हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने

	होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
7	सफल निविदाकार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security Deposit) राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
8	निविदाकार को **कर्मचारी भविष्य निधि** एवं **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है । पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियॉ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी । निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा । सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
9	ई.पी.एफ/ कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान मार्केटिंग एजेंसी के देयक से काटकर मार्केटिंग एजेंसी के ईपीएफ ईएसआईसी में कोड के विरूद्ध संबंधित विभाग में दुग्ध संघ द्वारा जमा किया जाएगा।
10	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि **(Security Deposit) रूपये 01.00 लाख (रु एक लाख मात्र)** अनुबंध के समय जमा करनी होगी।
11	एजेंसी को कार्य पर रखे गये समस्त सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव को कार्य प्रारंभ करने के दस दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे। परिचय पत्र के डिज़ाईन का अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। साथ ही फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12	मार्केटिंग एजेंसी को वर्तमान एवं भविष्य में शासन की समस्त लीगल आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
14	प्रबंधन के निर्देशानुसार एजेंसी को उसके द्वारा नियोजित सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जॉच कराना अनिवार्य होगा)। कार्य पर लगाये गये सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन एजेंसी को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना एजेंसी द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी । भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। एजेंसी द्वारा नियोजित सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य

	नियमानुसार सुविधायें एजेंसी को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि एजेंसी से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा। मार्केटिंग एजेंसी को वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रु. 1,00,000/– प्रति एक्जिक्यूटिव) करना होगा तथा संघ में सत्यापित बीमा पॉलिसी जमा करनी होगी।
16	मार्केटिंग एजेंसी को दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ/पशु आहार विक्रय का प्रतिमाह आधार पर लक्ष्य दिया जाएगा। जिन्हें पूर्ण करना अनिवार्य होगा। लक्ष्य पूर्ण न होने की स्थिति में अप्राप्त लक्ष्य के अनुसार अनुपातिक रूप से प्रतिमाह के देयक से कटौत्रा किया जाएगा। यदि वार्षिक आधार पर विक्रय लक्ष्य पूर्ण हो जाते तो प्रतिमाह लक्ष्य पूर्ण न होने पर की गई कटौत्रा राशि वापस की जावेगी। यदि विक्रय लक्ष्य प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प एवं दुग्ध उत्पादकों के आन्दोलन के कारण प्राप्त नहीं हो पाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति में छूट देने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
17	एजेंसी द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक गत माह के बिल जमा करना होगा। जिसका भुगतान 20 तारीख तक किया जाएगा।
18	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 (कर निर्धारण वर्ष 2016–17) एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 (कर निर्धारण वर्ष 2017–18) हेतु जमा किये गये रिर्टन की स्वसत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना होगी।
19	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता । यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में दो माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
20	एजेंसी अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य दो माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा ।
21	एजेंसी द्वारा उपरोक्त उल्लेखित शर्तो व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। एजेंसी द्वारा आदतन रूप से यदि उपरोक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर एजेंसी को संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही मे भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
22	यदि ठेके की शर्तो के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो विवाद को '' आर्बिट्रेशन'' हेतु प्रबंध संचालक, एम.पी.सी.डी.एफ, भोपाल को सौंपा जावेगा । आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

23	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें/अनुभव प्रस्तुत की जाती है तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
24	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई ग्वालियर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।
25	संघ द्वारा किसी भी प्रकार के टैक्स, भविष्य निधि, अंशदान या कोई भी व्यय पृथक से नहीं किया जाएगा।
26	मार्केटिंग एजेंसी को कम से कम 5 कम्पनियों में प्रत्येक में 10 सेल्स एक्जिक्यूटिव अथवा सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव उपलब्ध कराए जाने का अनुभव प्राप्त हो।
27	वर्तमान में साँची दुग्ध संघों में कार्यरत श्रम, सुरक्षा, वितरण, परिवहन ठेकेदार इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
28	मार्केटिंग एजेंसी को चयनित होने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं उपरोक्त शर्तों का अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ब) सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव हेतु निविदा की सामान्य शर्तें

1	**अ– योग्यता सेल्स एक्जिक्यूटिव–** एमबीए (विपणन) + पीजीडीसीए/डीसीए **ब– योग्यता सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव–** बीबीए/स्नातक + पीजीडीसीए /डीसीए किसी भी सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव की उम्र 21 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ दो वर्ष का प्रतिष्ठित संस्थान में विपणन कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कार्य करने वाले सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए । इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।
2	एजेंसी द्वारा लगाये गये सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा । एक्जिक्यूटिव द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई एक्जिक्यूटिव यूनियन से सदस्यता लेता है या संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/ अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना एजेंसी की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति व्यक्ति रूपये 1,000/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली एजेंसी के देयकों में से की जा सकेगी। यदि एजेंसी द्वारा संबंधित सेल्स एक्जिक्यूटिव

	एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर एजेंसी को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि/धरोहर राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
3	संयंत्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है । सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर प्रति व्यक्ति के ऊपर रू. 500/- का अर्थदण्ड़ अधिरोपित किया जायेगा। सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
4	एजेंसी के सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या संघ की संपत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं, तो क्षति की राशि का दो गुना एवं चोरी की स्थिति में अपराधिक प्रकरण मानकर एफ.आई.आर दर्ज कराई जाएगी और सामग्री की राशि के 50 गुना अर्थदण्ड प्रबंधन पक्ष द्वारा लगाया जावेगा। जिसकी वसूली उनके देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। गंभीर अनियमितताओं में लिप्त सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा एवं मार्केटिंग एजेंसी को ब्लेकलिस्ट किया जावेगा।
5	एजेंसी को अच्छे आचरण एवं चरित्र के सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव देना होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव डेरी संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो एजेंसी को ऐसे सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव तत्काल हटाना होंगें। एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। किसी भी सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति व्यक्ति राशि रूपये 1,000/- तक अर्थदण्ड एजेंसी पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
6	सेल्स एक्जिक्यूटिव को व्यक्तिगत रूप से दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ/पशु आहार विक्रय का लक्ष्य दिया जाएगा। जिन्हें पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निरंतर तीन माह तक निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पूर्ण न होने पर एक्जिक्यूटिव को हटाया जा सकेगा। प्रत्येक माह यदि 20 या 20 से अधिक सेल्स एक्जिक्यूटिव विक्रय लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होते हैं तो मार्केटिंग एजेंसी का सुपर विजन एवं सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त निविदा सभी शर्ते मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय
सील

स्थान :— नाम :—

दिनांक :— पत्राचार हेतु पता :—...

....

दूरभाष / मो.नं. :..

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

<u>प्रपत्र –02</u>

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
ग्वालियर ।

महोदय,

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ में मार्केटिंग एजेंसी के माध्यम से सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव उपलब्ध कराने हेतु दिनांक .... को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि **(Earnest Money)** रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक .... जो कि, ...बैंक, शाखा का नाम .... का है एवं 'ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित'/''Gwalior Sahakari Dugdha Sangh Maryadit'' के नाम देय है, को संलग्न कर रहा हूँ एवं निम्न तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्र0	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण देवें
1	मार्केटिंग एजेंसी का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाणपत्र।	है/नहीं
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	है/नहीं
4	श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	श्रम विभाग का पत्र/ प्रमाण पत्र।	है/नहीं
5	भविष्य निधि कोड नं. ।	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नहीं
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं. ।	क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र ।	है/नहीं
7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड।	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	है/नहीं

8	वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 का आयकर का रिर्टन जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिर्टन जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है / नहीं
10	कम से कम 5 प्रतिष्ठित संस्थान में प्रत्येक में 10 सेल्स एक्जिक्यूटिव उपलब्ध कराने का अनुभव	पूर्व नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं अनुभव का प्रमाण पत्र।	है / नहीं
11	पूर्व में भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में जमा कराये गये ई.पी. एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है / नहीं
12	पूर्व में कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है / नहीं
13	कारखाना एवं श्रम विभाग में प्रकरण / वाद आदि विचाराधीन / लंबित न होने का शपथ–पत्र।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100 / – के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है / नहीं

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :–　　　　　　　　नाम :–

दिनांक :–　　　　　　　　पत्राचार हेतु पता :– ....

....

दूरभाष / मो.नं. :– ....

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

<u>प्रपत्र–03</u>

''भाव पत्र/दर''

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

क्र	विवरण
1	सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव का न्यूनतम मानदेय कुशल श्रेणी कलेक्टर दर द्वारा निर्धारित् + 200 रु. मोबाइल बिल+1800 रु. गाड़ी ईंधन भत्ता।
2	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रू. 1,00,000/– प्रति श्रमिक)
3	जी.एस.टी – मार्केटिंग एजेंसी द्वारा चालान जमा कर प्रस्तुत करने पर।

नोटः–

1	मार्केटिंग एजेंसी को प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	'अ''मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति एक्जिक्यूटिव की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि कटौत्रा की जावेगी :–

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान मार्केटिंग एजेंसी के बिल से काटकर मार्केटिंग एजेंसी के ईपीएफ कोड के विरूद्ध जमा किया जाएगा।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान मार्केटिंग एजेंसी के बिल से काटकर मार्केटिंग एजेंसी के ईएसआईसी कोड के विरूद्ध जमा किया जाएगा।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम सुपर विजन एवं सर्विस चार्ज दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :–(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्र	विवरण	एक्जिक्यूटिव को मासिक देयक राशि पर प्रतिशत
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	प्रदायित सेल्स एक्जिक्यूटिव एवं सहायक सेल्स एक्जिक्यूटिव को देय कुल मानदेय की राशि पर लिया जाने वाला सुपर विजन+ सर्विस चार्ज का प्रतिशत (:)। ....

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

नाम :–

पत्राचार हेतु पता :– ....
....

स्थान :–

दूरभाष/मो.नं. :– ....
....

दिनांक :–

एजेन्सी मार्केटिंग फार्म 18–19